(**14**) मामले में शामिल मुख्य मुद्दे के जवाब के रूप में इनस्मच को अपीलार्थी-राज्य के पक्ष में स्थगित करने की आवश्यकता है, अन्य प्रश्न जो कि सीखे गए एकल न्यायाधीश से पहले बहस करने के लिए बहस करने के लिए आए थे, उन्हें जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। हमने जो कुछ भी कहा है, उसे सीखा एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को देखते हुए भी प्रचारित किया गया है कि अगर यह पाया गया कि पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त कुछ व्यक्ति उपलब्ध थे और उनके नाम को गलत तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था या यहां तक कि प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए चुने गए व्यक्ति भी थे। उपलब्ध है, लेकिन उन्हें इच्छाशक्ति से बाहर रखा गया था, शायद तत्कालीन निर्देशक की कार्रवाई, जो ऑर्डर पास कर चुका था, एनेक्स्योर पी -5, को सफलतापूर्वक हमला किया जा सकता था। हालांकि, उस पुतले या उस ओर से किसी भी तरह से किसी भी खोज की अनुपस्थिति में, मैं इस याचिका को बनाए रखने में असमर्थ हूं कि यह आदेश नियम 5 (2) के लिए प्रोविसो में निहित प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था। हम सभी को सीखा एकल न्यायाधीश के वें अवलोकन में जोड़ सकते हैं, ऊपर उद्धृत किया गया है और, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि वर्तमान मामले में दोनों में से किसी भी स्रोत से एक उपयुक्त व्यक्ति का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

(**15**) ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, हम इस अपील की अनुमति देते हैं। परिणामस्वरूप, 19 नवंबर, 1991 को सीखा एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अलग रखा गया है और रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। पार्टियों के पूर्ण भाग्य के मद्देनजर, वे, हालांकि, अपनी लागत सहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

R.N.R.

एम.एम. कुमार, जे
भीम सिंह — याचिकाकर्ता
बनाम
एसएमटी मामो और अन्य— उत्तरदाताओं

***सी.आर. न.* 1996 का 1732**
20 अगस्त, 2001

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908-0. मेरा 'आरएल. 14 (1) और एस. 148 --- _हरियाणा (संशोधन) अधिनियम, 199q — S. 15 — पूर्व-उत्सर्जन सूट में निर्णय —पूर्व-उत्सर्जन राशि के जमा में कमी — विलफुल डिफ़ॉल्ट या नहीं

पूर्व-समयावधि राशि-निष्पादन/सिविल कोर्ट की गणना में अदालत द्वारा अदालत द्वारा कमी राशि-बोना फाइड गलती को जमा करने में डिक्री धारक की ओर से लापरवाही के पास पूर्व-समारोह जमा में कमी करने के लिए समय का विस्तार करने के लिए अधिकार क्षेत्र है-- **1995** अधिनियम का संशोधन संभावित है इसलिए डिक्री धारक का अधिकार अप्रभावित है।

आयोजित, कि निष्पादन/सिविल कोर्ट पूर्व-उत्सर्जन डिक्री के निष्पादन के चरण में पूर्व-नियुक्ति राशि के जमा में कमी करने के लिए समय का विस्तार कर सकता है। जब अदालत में पूर्व-उत्सर्जन राशि जमा की गई है, तो समय को सिविल कोर्ट द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यह दावा नहीं किया जा सकता है कि सिविल कोर्ट फंक्शनस ऑफिसियो बन गया है या अपनी गलती के लिए पूर्व-उत्सर्जन डिक्री को रुपये की छोटी राशि जमा करने के लिए पराजित किया जा सकता है। **100.00**। यह कोई शरीर का मामला नहीं है कि डिक्री धारक के पास उस राशि का भुगतान करने की क्षमता नहीं थी या ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। एक बार गणना अदालत द्वारा या उसके अधिकारियों द्वारा अदालत के उदाहरण पर की गई है, तो डिक्री धारक के साथ कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

(पैरा २०)

राजी भल्ला, अधिवक्ता और विक्रम सिंह, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

सी। बी। गोएल, एडवोकेट और विकास मोर, उत्तरदाताओं की वकालत करते हैं।

प्रलय

एम.एम. कुमार, जे

(1) क्या अदालत ने पूर्व-उत्सर्जन के पक्ष में पारित डिक्री के निष्पादन में पूर्व-नियुक्ति राशि जमा में सीमांत कमी को पूरा करने के लिए समय का विस्तार किया हो सकता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वर्तमान संशोधन याचिका में विचार के लिए उत्पन्न होता है**?**

(२) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि डिक्री धारक- प्रतिवादी इंद्र सिंह (अब श्रीमती द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। ममो उनकी विधवा**,** श्री श्री इंद्र सिंह) ने **1974** के सूट नंबर **638** के रूप में एक प्री-एमिप्शन सूट दायर किया**,** जिसमें **24** कनाल **1/2** शेयर का प्रतिनिधित्व करने वाली भूमि के पूर्व-प्रकाशन द्वारा कब्जे के लिए डिक्री का दावा किया गया। **1/2** शेयर

भीम सिंह v. Smt. मामो और अन्य 405

(एम। एम। कुमार, जे।)

भूमि असर आय। नंबर **407,** रेक्ट। नंबर **59** किला नं। **3** से **9, 10/2, 11** से **13, 14/1, 20/1, (**टोटल किलस **14)** ख्वाट नंबर **1** में प्रवेश किया कैथल। यह दावा किया गया था कि उपरोक्त भूमि के संबंध में रुपये के भुगतान पर मुकदमा का फैसला किया गया है। **31,100**। भूमि के संबंध में पूर्व-उत्सर्जन द्वारा कब्जे के लिए एक डिक्री **24** कानल **1** मारला को स्वामित्व के **½** शेयर का प्रतिनिधित्व करने वाली और भूमि के **1/4** वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए **96** कनाल **3** मार्लस को मापने में शामिल किया गया था। नंबर **407,** रेक्ट। नंबर **59 (**किला नं। **3** से **9, 10/2-11-12-13-14/1, 20/1 (**कुल **14** किलास) गाँव के सांच, तहसील कैथल में स्थित जमबांडी **1968-69** के अनुसार पारित किया गया था **5** मार्च, **1976** को ट्रायल कोर्ट सीखा। यह निर्देश दिया गया था कि **20** मई, **1976** को या उससे पहले **31,100** रुपये की राशि जमा की जाएगी। डिक्री के खिलाफ, पहली अपील को **3** अगस्त, **1977** को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने आर.एस.ए. **16** जुलाई, **1986** को **1977** का **1331**। यहां तक कि **1986** के एस.एल.पी. नंबर **11796** भी **9** अक्टूबर **1987** को खारिज कर दिया गया था। इसलिए, **5** मार्च, **1976** को दिनांकित डिक्री ने फाइनलिटी प्राप्त की थी। परीक्षण की दिशा में यह उल्लेख करना उचित है कोर्ट ने **13** सितंबर, **1974** को पूर्व-समारोह राशि के **1/5** वें को **23** अक्टूबर, **1974** को ट्रायल कोर्ट में प्रतिवादी डिक्री होल्डर द्वारा प्रतिवादी डिक्री होल्डर द्वारा हटा दिया गया था यानी पंजाब की धारा **22** के प्रावधानों के अनुपालन में मुकदमा दायर करने के समय पूर्व-उत्सर्जन अधिनियम, **1913 (**हरियाणा राज्य के लिए लागू)। **25,400** को भी जमा किया गया था, हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उस जमा की तारीख को **20** मई, **1976** की तारीख तय की है। डिक्री को निष्पादित करने के लिए, निष्पादन याचिका को **1992** के निष्पादन संख्या **75** के रूप में दायर किया गया था। निष्पादन याचिका में सभी उपरोक्त हैं- उल्लिखित विवरण दिए गए थे और याचिका को दिवंगत श्री इंद्र सिंह, प्रतिवादी-डिक्री धारक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा चिह्नित किया गया था। निष्पादन याचिका के लिए, याचिकाकर्ता-निर्णय देनदार ने आपत्ति दायर की और आपत्ति याचिका के अनुच्छेद **4** में एक आपत्ति ली गई थी कि डिक्री धारक-प्रतिवादी ने पूरी राशि जमा नहीं की थी और कब्जे के वारंट को जारी करने से पहले उसे सत्यापित करना अनिवार्य था। । अनुच्छेद **5** में यह आपत्ति जताई गई थी कि जब तक पूर्ण राशि जमा नहीं की जाती है, तब तक निष्पादन को खारिज करने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि सूट खुद खारिज कर दिया गया था और कोई निष्पादन झूठ नहीं होगा। एक अन्य आवेदन भी

याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया था- निर्णय देनदार ने निष्पादन की कार्यवाही की मांग की। आपत्तियों के जवाब में

निर्णय देनदार द्वारा दायर- याचिकाकर्ता, प्रतिकृति भी दायर की गई थी। यह आरोप लगाते हुए कि आपत्तियां माला फाइड थीं और उन्हें अवैध कब्जे प्रचलित करने के लिए दायर किया गया था।

यह बताना भी उचित है कि डिक्री-धारक प्रतिवादी ने प्रतिकृति में खुलासा किया कि डिक्री को घोर लापरवाही की जमीन पर एक सूट में भी चुनौती दी गई थी और श्री सुभश गोएल की अदालत द्वारा उस सूट में दिए गए पूर्व-पार्टे स्टे ऑर्डर ।

(३) डिक्री धारक-प्रतिवादी ने मूल सूट में एक आवेदन भी दायर किया, जो १ ९ of४ के १ ९ और ४ के सूट ६३ और सिविल प्रक्रिया की धारा ६३ और १५१ सिविल प्रक्रिया के १५१ के तहत, १ ९ ० ((संहिता के लिए संक्षिप्त 'के लिए') दायर किया। आवेदन औसत में बनाया गया था कि सीखा ट्रायल कोर्ट ने डिक्री के तहत देय राशि की गणना की और चालान में शब्दों के साथ -साथ आंकड़ों में भी इसे भर दिया। चालान, उप-न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित राशि की गणना के बाद, तिथि के साथ IST वर्ग, डिक्री धारक-प्रतिवादी और रुपये की राशि को दिया गया था। 25,400 को जमा करने का आदेश दिया गया था। रुपये की कमी को पूरा करने के लिए। 100 समय का विस्तार करने के लिए एक अनुरोध किया गया था और अदालत की अनुमति रुपये की कमी जमा करने के लिए मांगी गई थी। 100. अदालत में। विभिन्न गवाहों के बयानों के रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग के बाद सीखा ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि डिक्री धारक रुपये की घाटे की राशि जमा करने में गलती नहीं था। 24 अप्रैल, 1996 को दिनांकित आदेश दिए गए आदेश, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कैथल ने डिक्री धारक-प्रतिवादी को रुपये की छोटी राशि जमा करने की अनुमति दी। 25 मई, 1996 तक अदालत में 100 में विफल रहा, जो उसे 7 मार्च, 1976 को डिक्री के संदर्भ में परिणामों का सामना करना था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि संतुलन राशि रु। 100 कोर्ट में 6 मई, 1996 को जमा किया गया था। ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

"इसके अलावा, प्रश्न में डिक्री सटीक प्री-एमिप्शन राशि के बारे में चुप है, जिसे जमा किया जाना था और 25,400 रुपये के पूर्व-मनी धन को चालान पूर्व के आधार पर डीएच द्वारा जमा किया गया था, जो अध्यक्षता के हस्ताक्षर को सहन करता है अधिकारी और अधिकारी जिन्होंने 25,400 रुपये का अनुमान लगाकर चालान को भर दिया। संबंधित अधिकारी अर्थात्: चानन दास और पवन कुमार अदालत के सामने पेश हुए और संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर साबित हुए I

जिनके द्वारा यह भर गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारी ने पूर्व-समारोह राशि की गणना करने में त्रुटि की है, जिसे जमा किया जाना था और यह माननीय सर्पिम कोर्ट का दृष्टिकोण है, जब जंग सिंह बनाम बृज लाल **1963** सी.एल.जे. (**S.C.)** कि अदालत या उसके अधिकारी की गलती के कारण, मुकदमों को पीड़ित नहीं होना चाहिए और उन्हें उस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह प्राधिकरण डीएच के स्टैंड के लिए पूर्ण समर्थन बढ़ा रहा है और उसी के मद्देनजर, वर्तमान डीएच को पीड़ित नहीं होना चाहिए यदि प्रश्न में राशि को संबंधित अधिकारी द्वारा गलत तरीके से भर दिया गया है और एक ही दृष्टिकोण भी सुप्रा में हमारे माननीय उच्च न्यायालय का है केस हेट राम बनाम राजिंदर परशद जिसके अनुसार डीएच को अदालत के अधिकारियों की गलती के लिए पीड़ित नहीं किया जा सकता है और कम राशि जमा करने के लिए डिक्री-धारक को किसी भी मालाफाइड्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह प्राधिकरण डीएच के मामले को भी पूरा समर्थन दे रहा है और उसी अदालत के मद्देनजर कम पूर्व-अनुकरण राशि जमा करने के लिए डीएच की जिम्मेदारी को ठीक नहीं कर सकता है। "

(४) यह इस आदेश के खिलाफ है, वर्तमान संशोधन याचिका को निर्णय-ऋणदाता द्वारा पसंद किया गया है।

(६) निर्णय-देनदार के लिए सीखे गए वकील ने दो गुना सबमिशन किए हैं। सबसे पहले, उन्होंने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **XX** नियम **14 (1) (**बी) के तहत, **1908 (**संहिता के लिए कम 'के लिए), यह पूर्व-अनुकरण राशि के भुगतान के बाद ही है कि शीर्षक डिक्री धारक पर सम्मानित किया जाता है । वह आगे कहता है कि पूरी राशि जमा होने पर डिक्री अंतिम हो जाती है। डिक्री पास करने वाली अदालत फंक्शनल ऑफिसियो बन जाती है और निष्पादित करने वाली अदालत के पास संहिता की धारा **148** के तहत समय का विस्तार करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। दूसरे, उन्होंने कहा कि **1995** के हरियाणा अधिनियम नंबर **10** की वीडब्ल्यू, पूर्व एमिशन एक्ट समाप्त

हो गया है और इसलिए, लंबित मामलों को तय करने वाली अदालतों को कानून में बदलाव को ध्यान में रखना चाहिए और पूर्व-खाली पर राहत से इनकार करना चाहिए। वह स्कोर।

(7) पहले प्रसार के लिए, सीखा वकील ने कई निर्णयों का हवाला दिया। उन्होंने नागुबा अप्पा बनाम नामदु (**1**) महन्थ राम दास बनाम गंगा दास (**2**) किर्पा राम बनाम गासी (**3**) सुलेह सिंह और अन्य हम पर भरोसा किया। सोहान लाल और एक और (**4**)। उन्होंने आगे जंग सिंह पर भरोसा किया। बृज लाल और अन्य (**5**) यह तर्क देने के लिए कि सटीक राशि का सटीक राशि नहीं दी गई थी, लेकिन यह डिक्री धारक की जिम्मेदारी थी - राशि की गणना करने और उसी का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी। अदालत के अधिकारियों द्वारा गणना का कार्य, उन पर किसी भी वैधानिक दायित्व की अनुपस्थिति में, खुद को डिक्री धारक के एक अधिनियम के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक बार राशि जमा नहीं होने के बाद, यह भी कम हो सकता है, सूट को खारिज कर दिया जाना चाहिए। वह जगतार सिंह और एक अन्य बनाम कर्ता सिंह और अन्य (**6**) का हवाला देते हैं। वह यह तर्क देने की सीमा तक जाता है कि संक्षेप में दी गई राशि के लिए भी, सूट सशर्त डिक्री के मामले में खारिज कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के लिए वह लब सिंह पर निर्भर करता है। हार्डयल (**7**)। सीखा वकील ने तर्क दिया कि प्रक्रियात्मक मामलों में, पूर्व-समारोह राशि को जमा करने में देरी की शक्ति की शक्ति को संघनित किया जा सकता है, लेकिन सशर्त फरमान के मामलों में नहीं। इस प्रस्ताव के लिए, वह श्रीमती पर निर्भर करता है। परमेशरी बनाम नूरता (**8**)।

(8) दूसरे प्रस्ताव के लिए, सीखा वकील ने तर्क दिया कि प्री-इक्विपमेंट का अधिकार वादी-डिक्री होल्डर को बिक्री की तारीख पर, सूट की तारीख पर, उस तारीख पर उपलब्ध होना चाहिए, जब डिक्री पारित किया गया था। । उन्होंने करण सिंह और अन्य बनाम भगवान सिंह और अन्य (**9)** पर भरोसा किया कि एक बार पूर्व-उत्सर्जन के अधिकार को क़ानून की पुस्तक से **1995** के हरियाणा अधिनियम संख्या **10** के अधिनियमित द्वारा पुतला कर दिया गया था, तो अदालत को शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए उस क़ानून के लिए उपेक्षा में।

(9) दूसरी ओर, डिक्री धारक-प्रतिवादी के लिए सीखा वकील ने तर्क दिया कि एक बार आवेदन दायर किया जाता है, जिस पर पूर्व-समारोह रु। **25,400.00** राशि जमा के लिए आदेश पारित किया गया है**।**

---

(1) AIR 1954 SC 50
(2) AIR 1961 SC 882
(3) 1981 PLJ 257
(4) 1975 PLJ 400
(5) 1963 CUR. LJ 11 (SC)
(6) AIR 1980 Pb. & Hy. 313
(7) AIR 1977 P & H 294
(8) AIR 1984 P & H 342 :

जो वास्तव में **7** मई, **1976** को जमा किया गया था निर्णय-ऋणदाता द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है कि कोई गलती थी डिक्री-धारक की ओर से पूरी राशि जमा करने के लिए आवेदन को जमा करने के लिए डिक्री धारक द्वारा किया गया है पूर्व-समारोह राशि, सीखा ट्रायल कोर्ट ने एक खोज दी है तथ्य यह है कि डिक्री धारक ने गणना में कोई त्रुटि नहीं की।

पूर्व-समारोह राशि का। रु। **100.00** खाते में था अदालत के अधिकारियों/अधिकारियों द्वारा की गई बोना-फाइड की गलती। वह यह बताता है कि यह अच्छी तरह से तय प्रस्ताव है, कानून की है कि गलती के लिए अदालत या वकील, मुकदमेबाज को पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रस्ताव वह जंग सिंह पर निर्भर करता है। बृज लाल और अन्य (सुप्रा)। हालांकि, सबसे फर्म निर्भरता को सीखा द्वारा रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिक्री धारक-प्रतिवादी के लिए वकील

जोहरी सिंह बनाम सुख पाल सिंह और अन्य (**10)** में। यह तर्क दिया गया था उसके द्वारा कि पूर्वोक्त के पैरा **5** में किए गए अवलोकन का उल्लेख किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उनके मामले को शामिल किया गया है। यह इंगित किया गया है सीखा वकील द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट से पहले तथ्यों को इस मामले के समान थे क्योंकि रुपये की कमी थी। **100** उस मामले में भी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक डिक्री नहीं बन जाएगा निष्क्रिय या अप्रभावी केवल इसलिए कि राशि का एक अंश, जो बोन-फाइड गलत-गणना/गलती के परिणाम के लिए पराजित किया जा सकता था वह कारण। उनके अनुसार, ऐसा डिक्री अंतिम हो जाता है और हो जाता है निष्पादित। उन्होंने हेट राम बनाम राजिंदर परशद से समर्थन मांगा।

(११) मनोहर सिंह बनाम अमर सिंह और अन्य (१२) और शेर सिंह बनाम पुराण और अन्य (**13)** इसके अलावा, उनकी आपत्ति में, निर्णय देनदार ने सीखा परीक्षण से पहले इस बिंदु को कभी नहीं उठाया है अदालत। इस तरह के एक बिंदु को भी पहले से पहले नहीं उठाया गया था अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय या माननीय सुप्रीम कोर्ट से पहले डिक्री को चुनौती देने का समय। इसलिए, उन्होंने दावा किया कि थोड़ी मात्रा में रु। **100** जो बोना-फाइड गलती का परिणाम था डिक्री को हराने का आधार बनाया जा सकता है।

(१०) मैंने पार्टियों के लिए सीखे गए वकील द्वारा उठाए गए दलीलों पर अपना विचारशील विचार दिया है और उस रिकॉर्ड का उपयोग किया है, जिसे विशेष दूत के माध्यम से ट्रायल कोर्ट से अपेक्षित किया गया था।

(10) 1989 पीएलजे 723
(11) 1988 पीएलजे 103
(12) 1985 पीएलजे 364
(13) 1985 पीएलजे 536

(११) इससे पहले कि मैं पार्टियों के लिए सीखे गए कूसल द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों से निपटता हूं, मैं कोड के ऑर्डर **XX** नियम **14 (1)** के प्रावधानों को संदर्भित करना उचित मानता हूं जो कि के तहत पढ़ता है:

"14. पूर्व-उत्सर्जन सूट में डिक्री- (**1**) जहां अदालत संपत्ति की एक विशेष बिक्री के संबंध में पूर्व-उत्सर्जन का दावा करती है और खरीद धन का भुगतान अदालत में नहीं किया गया है, डिक्री विल-

(ए) एक दिन को निर्दिष्ट करें या इससे पहले कि खरीद धन का भुगतान किया जाएगा, और

(बी) निर्देश पर कि इस तरह की खरीद-धन की अदालत में भुगतान पर, लागत के साथ-साथ (यदि कोई हो) वादी के खिलाफ या उससे पहले या उससे पहले, क्लॉज (ए) में संदर्भित, प्रतिवादी को संपत्ति पर कब्जा कर लेगा वादी, जिसका शीर्षक थर्टो को इस तरह के भुगतान की तारीख से अर्जित किया जाएगा, लेकिन यह कि, यदि खरीद-धन और लागत (यदि कोई हो) का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सूट को लागत के साथ खारिज कर दिया जाएगा। "

(१२) कोड के नियम १४ (१) का एक अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि अदालत में एक दायित्व लगाया गया है कि जिस तारीख को खरीदारी के पैसे का भुगतान किया जाना था और वह दिशा जारी करनी थी, जो पूर्व-तय धन का भुगतान करना था। अदालत में, प्रतिवादी डिक्री-धारक को संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। डिक्री धारक का शीर्षक उस तारीख से प्राप्त होगा जब ऐसा भुगतान किया जाता है। खरीद धन/पूर्व-उत्सर्जन धन के भुगतान के अभाव में, सूट को खारिज कर दिया जाएगा। पहले स्थान पर, डिक्री को इन चीजों को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है, जब अदालत में खरीदारी का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति के अभाव में, डिक्री को ऐसी किसी भी चीज़ को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

(१३) अब तक नागुबा अप्पा के मामले (सुप्रा) में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संबंध है कि यह एक पूर्व-उत्सर्जन डिक्री के गैर-अनुपालन का मामला था जितना कि कोई भी राशि जमा नहीं की गई थी, जो इसे बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर रही थी डिक्री धारक का डिक्री का पालन करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए, यह निर्णय न्यायमूर्ति देनदार-याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। महंठ राम दास के मामले (सुप्रा) में निर्णय का प्रस्ताव पर कोई असर नहीं है।

जो इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होता है। उस स्थिति में, सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य को इस स्थिति से जब्त कर लिया गया था कि क्या अपील का फैसला करते समय उच्च न्यायालय की एक बेंच हीन न्यायालय द्वारा पूर्व-समारोह राशि के भुगतान के लिए निर्धारित अवधि से परे विस्तार देने के लिए सक्षम थी। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच से पहले समय के विस्तार के लिए एक आवेदन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने कहा कि उच्च न्यायालय उस समय को बढ़ाने के लिए शक्तिहीन नहीं था, भले ही उसने भुगतान के लिए पूर्व की अवधि तय की हो। धारा **148** के संबंध में यह देखा गया कि धारा **148** समय की अनुमति देता है, भले ही मूल अवधि समाप्त हो गई हो। यह निर्णय निर्णय देनदार-याचिकाकर्ता के खिलाफ जाता है। किर्पा राम के मामले (सुप्रा) में इस अदालत की एक ही बेंच द्वारा प्रस्तुत निर्णय भी निर्णय देनदार-याचिकाकर्ता के मामले में कोई मदद नहीं करता है। उस स्थिति में, डिक्री धारक ने डिक्री की शर्तों का पालन नहीं किया और एक ही पैसा भी जमा करने में विफल रहे। इसलिए, यह निर्णय तथ्यों के साथ -साथ कानून पर भी अलग है। अगला निर्णय, जांग सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय देनदार-याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा भी मेरे दिमाग में जाने के लिए। उस स्थिति में, तथ्य इस मामले के समान थे, क्योंकि अदालत के अधिकारियों की ओर से गलती हुई थी और परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने कहा कि अदालत को उस गलती को पूर्ववत करना होगा। यहां तक कि हेट राम बनाम राजिंदर परशद (सुप्रा) में सीखे गए एकल न्यायाधीश का निर्णय उनके खिलाफ जाता है।

(१४) दूसरे प्रस्ताव पर, करण सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय देनदार-याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा उद्धृत निर्णय भी उनके मामले को समर्थन नहीं देता है। उस स्थिति में, सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने देखा कि प्री-एमिप्शन का दावा करने का अधिकार बिक्री की तारीख, सूट की तारीख और उस तारीख पर उपलब्ध होना चाहिए जिस पर डिक्री पारित होती है। निर्णय के पैरा **7** में माननीय सर्वोच्च की टिप्पणियों के तहत हैं:

"..... दावे का अधिकार पूर्व-उत्सर्जन की तारीख, सूट की तारीख और जिस तारीख को डिक्री पारित किया जाता है, उस पर उपलब्ध होना चाहिए। जब एक डिक्री के खिलाफ अपील लंबित होती है, कोर्ट ऑफ अपील में पूरे मामले का सेसिन है और पूरा मामला फिर से उप -न्यायाधीश बन जाता है, हालांकि कुछ उद्देश्यों के लिए, यानी, निष्पादन, डिक्री को

अंतिम माना जाता है। ट्रायल कोर्ट का डिक्री अपीलीय न्यायालय का फरमान विलय हो जाता है।

इसलिए, न्यायालय अपील के रूप में सभी शक्तियां और शॉल होंगे लगभग हो सकता है, समान कर्तव्यों को सम्मानित किया जाता है और मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय पर लगाया गया। जब इसलिए, अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, यह है मूल कार्यवाही और संपूर्ण की निरंतरता मुद्दा बड़े पैमाने पर है!· (जोर दिया गया)

(15) निर्णय देनदार द्वारा भरोसा किए गए अन्य निर्णय-याचिकाकर्ता के पास उस प्रस्ताव के समर्थन का भी अभाव है जिसके लिए उठता है वर्तमान मामले में सहमति. *इनजगर सिन, जीएच का मामला* (सुप्रा) ए तथ्य पूरी तरह से अलग थे क्योंकि पूर्व-उत्सर्जन राशि का कोई हिस्सा नहीं था भुगतान किया. इसी तरह, पूर्ण बेंच निर्णय *लभ सिंह में* मामला (सुप्रा) यह भी पूरी तरह से अलग प्रस्ताव के साथ संबंधित है, चाहे अपीलीय में घाटे से पहले की राशि के लिए आपत्ति लेने में विफलता इस तरह की आपत्ति उठाने के अधिकार की छूट के लिए मंच की राशि होगी निष्पादन चरण में. इसलिए, मुझे लगता है कि इस फैसले का भी कोई मतलब नहीं है वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए आवेदन. निर्णय दिया गया द्वारा, एकल न्यायाधीश में सीखा *परमेश्री के* केस (सुप्रा) का भी कोई असर नहीं है. उस स्थिति में, भुगतान पर कब्जे के लिए सशर्त डिक्री निर्दिष्ट अवधि के भीतर किस्तों में कुछ राशि पारित की गई थी. डिक्री की शर्तों के अनुसार अंतिम किस्त का भुगतान करने में विफल रहने वाली वादी ने समय के विस्तार के लिए कहा था. यह था इन परिस्थितियों में कि इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश सीखे आयोजित किया गया कि भुगतान के लिए समय बढ़ाने के लिए न्यायालय सक्षम नहीं था धारा 148 के तहत.

(16) अब तक श्री राजीव भल्ला के तर्क में, सीखा निर्णय-देनदार के लिए वकील कि सह-उत्सर्जन का अधिकार-हिस्सेदार को हरियाणा (संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा समाप्त कर दिया गया है जिसने धारा 15 को प्रतिस्थापित किया है, वह भी योग्य है अस्वीकार कर दिया. हाल के एक फैसले में, सुप्रीम की संविधान बेंच के मामले में कोर्ट *श्याम सुंदर और एक अन्य वी. खलिहान कुमार और एक अन्य* (१४) ने माना है कि १ ९९ ५ का संशोधन संभावित है. द सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य द्वारा दिया गया मूल कारण यह है कि प्रक्रियात्मक

कानून में, पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है लेकिन अभी तक पार्टियों के मूल अधिकारों का संबंध है, वे बने रहेंगे अधिनियम में संशोधन से अप्रभावित. का अवलोकन पैरा 29 में उनके आधिपत्य इस संबंध में प्रासंगिक हैं और इस रूप में पढ़ते हैं के अंतर्गत :

"पूर्वोक्त निर्णयों से कानूनी स्थिति उभरती है यह है कि जब एक अधिनियम के निरसन के बाद एक है

अपीलीय अदालत का फरमान। इसलिए, अपील की अदालत में सभी शक्तियां होंगी और लगभग उतने ही प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसा कि मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय में दिए गए और लगाए गए समान कर्तव्यों के रूप में हो सकता है। जब अपील, इसलिए, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो यह मूल कार्यवाही की निरंतरता है और पूरा मुद्दा बड़े पैमाने पर है। (जोर दिया गया)

(१५) निर्णय देनदार द्वारा भरोसा किए गए अन्य निर्णयों में याचिकाकर्ता के पास प्रस्ताव के समर्थन का भी अभाव है जो वर्तमान मामले में विचार करने के लिए उत्पन्न होता है। जगतार सिंह के मामले (सुप्रा) में तथ्य पूरी तरह से अलग थे क्योंकि पूर्व-उत्सर्जन राशि का कोई हिस्सा भुगतान नहीं किया गया था। इसी तरह, लब सिंह के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ का निर्णय भी पूरी तरह से अलग प्रस्ताव से संबंधित है, क्या अपीलीय मंच पर घाटे के पूर्व-समारोह राशि के लिए आपत्ति करने में विफलता इस तरह की आपत्ति जुटाने के अधिकार की छूट के लिए राशि होगी। निष्पादन चरण। इसलिए, मुझे लगता है कि इस फैसले में भी वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए कोई आवेदन नहीं है। परमेशरी के मामले (सुप्रा) में सीखा एकल न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत निर्णय का भी कोई असर नहीं है। उस स्थिति में, निर्दिष्ट अवधि के भीतर किस्तों में कुछ राशि के भुगतान पर कब्जे के लिए सशर्त डिक्री पारित किया गया था। डिक्री की शर्तों के अनुसार वादी अंतिम इंस्टालमेंट का भुगतान करने में विफल रहा था, जो समय के विस्तार के लिए कहा था। यह इन परिस्थितियों में था कि इस न्यायालय के सीखे गए एकल न्यायाधीश ने कहा कि अदालत धारा **148** के तहत भुगतान के लिए समय का विस्तार करने के लिए सक्षम नहीं थी।

(१६) अब तक श्री राजीव भल्ला के तर्क के रूप में, निर्णय-ऋणदाता के लिए वकील सीखा कि सह-हैर के पूर्व-उत्सर्जन का अधिकार हरियाणा (संशोधन) अधिनियम, १ ९९ ५ द्वारा समाप्त कर दिया गया है। चिंतित, भी अस्वीकार किए जाने के योग्य है। हाल ही में एक फैसले में, श्याम सुंदर और एक अन्य वी। राम कुमार और एक अन्य (**14**) के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना है कि **1995** का संशोधन संभावित है। सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा दिया गया मूल कारण यह है कि प्रक्रियात्मक कानून में, पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है, लेकिन जहां तक पार्टियों के मूल अधिकारों का संबंध है, वे अधिनियमन में संशोधन से अप्रभावित रहेंगे। पैरा **29** में उनके आधिपत्य की टिप्पणियां इस संबंध में प्रासंगिक हैं और के रूप में पढ़ती हैं:

"पूर्वोक्त निर्णयों से जो कानूनी स्थिति उभरती है, वह यह है कि जब एक अधिनियमन का निरसन एक के बाद होता है

भुगतान नहीं, सूट को लागत के साथ खारिज कर दिया जाएगा। यह उपरोक्त प्रावधान के आधार पर किया जाएगा। लेकिन जब डिक्र-होल्डर अदालत में जमा कर देता है कि वह पूरे खरीद-धन को क्या मानता है, लेकिन अनजाने में गलती के कारण क्या जमा किया जाता है तो एक छोटे से अंश द्वारा डिक्रेटल राशि के शॉर्ट्स को गिरता है और गलती के बाद ऐसे समय के भीतर पार्टी होती है। या एहसास, जैसा कि उसकी ओर से इच्छाधारी डिफ़ॉल्ट या लापरवाही साबित नहीं होगा, इसकी अनुमति के साथ अदालत में घाटे की राशि का भुगतान करता है, क्या उसी परिणाम का पालन करना चाहिए?

10. नागुबा अप्पा बनाम नामदेव एयर **1954** एस.सी. **50** में इस अदालत ने यह माना है कि अपील की मात्र दाखिल करने से ट्रायल जज के पूर्व-उत्सर्जन डिक्री को निलंबित नहीं किया जाता है और जब तक कि डिक्री को अपील की अदालत द्वारा किसी भी तरह से बदल नहीं दिया जाता है, पूर्व-खाली अपने निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है और यह पता लगाया है कि ट्रायल कोर्ट के डिक्री में तय किए गए समय के भीतर पूर्व-समारोह मूल्य को जमा नहीं करने के लिए अपने डिफ़ॉल्ट के कारणों से पूर्व-उत्सर्जन सूट खारिज कर दिया गया है और यह कि सूट को खारिज करना आदेश **20** नियम **14** के अनिवार्य प्रावधानों के परिणामस्वरूप है और अदालत के किसी भी निर्णय के कारण नहीं। वहाँ पूर्व-उत्सर्जन धन निश्चित समय के भीतर जमा नहीं किया गया था। इसके बाद पूर्व-खाली ने अदालत को यह बताए बिना राशि जमा करने के लिए एक आवेदन किया कि तय किया गया समय समाप्त हो गया था। आवेदन की अनुमति दी गई थी; लेकिन प्रतिवादी ने सूट के निपटान के लिए अदालत में आवेदन किया कि जमा के लिए तय समय समाप्त हो गया था। ट्रायल जज ने कहा कि पूर्व-उत्सर्जन धन का भुगतान नहीं किया गया था, जो कि डिक्री में तय किए गए समय के भीतर खारिज कर दिया गया था। यह निर्णय सही होने के लिए आयोजित किया गया था। यह पूरे खरीद के पैसे के गैर-डिपोज़िट का मामला था और उसके किसी भी अंश का नहीं।

11. जंग सिंह बनाम बृजलाल और ओआरएस में। (सुप्रा) समझौते पर पूर्व-एम्पशन डिक्री को जंग सिंह के पक्ष में पारित किया गया था और उन्हें रुपये जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था। **5951.00** कम रु। **1000.00** पहले से ही उसके द्वारा जमा किया गया था**, 1** मई**, 1958** तक**,** और ऐसा करने में विफल रहा**।**

लागत के साथ खारिज कर दिया। **6** जनवरी, **1958** को, जंग सिंह ने बनाने के लिए ट्रेल कोर्ट में एक आवेदन किया डिक्री की राशि के शेष राशि का जमा। अदालत के क्लर्क, जो निष्पादन भी था कोर्ट, डुप्लिकेट में एक चालान तैयार किया और इसे सौंप दिया जंग सिंह के लिए आवेदन के साथ कवर करें ताकि राशि बैंक में जमा की जा सकती है। चालान में (और आवेदन पर पारित आदेश में, इसलिए यह था कथित) रु। रुपये के बजाय **4950.00** का उल्लेख किया गया था। **4951.00** और इसे जमा किया गया था। मई, **1958** में, उन्होंने आवेदन किया के लिए और जमीन के कब्जे के लिए एक आदेश प्राप्त किया और नायब नजीर ने बताया कि पूरी राशि थी अदालत में जमा। भले सिंह (वेंडी) ने तब आवेदन किया **25** मई, **1958** को, उसे भुगतान के लिए अदालत में जमा राशि में पड़ी हुई राशि और इसकी सूचना दी गई थी नायब नजीर उस आवेदन पर जो जांग सिंह ने नहीं किया था सही राशि जमा की और जमा कम था एक रुपये से। भोला सिंह ने अदालत में आवेदन किया जंग सिंह के सूट को खारिज करना और सभी को याद करने के लिए जंड सिंह के पक्ष में किए गए आदेश। ट्रायल कोर्ट उस एप्लिकेशन की अनुमति दी और इसके उलट होने का भी आदेश दिया पहले आदेश और निर्देशित किया कि कब्जा भूमि उसे बहाल कर दी जाए। अपील पर, जिला न्यायाधीश, जांग सिंह को अदालत से संपर्क करते हुए पकड़े हुए जमा करने के लिए एक आवेदन के साथ जमा करना अदालत और उसके क्लर्क ने उसे आदेश देकर गलती की एक राशि का जमा करें जो एक से कम था रुपया। जंग सिंह के रूप में बहाना किया गया था। जिम्मेदारी अदालत द्वारा साझा की गई थी और इसके अनुसार यह माना कि जमा की गई एक पर्याप्त अनुपालन था डिक्री की शर्तों के साथ और तदनुसार अनुमति दी ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज करने की अपील की

मुकदमा। भोला सिंह द्वारा उच्च न्यायालय ने अपील पर लिया यह विचार कि डिक्री का अनुपालन नहीं किया गया था कानून के तहत भुगतान के लिए डिक्री में तय किया गया समय पूर्व-उत्सर्जन मामले में विधान राशि नहीं हो सकती है अदालत द्वारा विस्तारित और कि खोज कि शॉर्ट डिपॉजिट कोर्ट के अधिनियम के कारण नहीं था साक्ष्य द्वारा समर्थित और तदनुसार अनुमति दी।

अपील, जिला न्यायाधीश के फैसले को अलग कर दिया और ट्रायल कोर्ट को बहाल किया। जांग सिंह द्वारा अपील पर इस अदालत ने पाया कि जिस आवेदन में अदालत ने रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। **4950** अप्रकाशित रहे। हालांकि, यह काफी स्पष्ट था कि चालान अदालत के निर्देशन में तैयार किया गया था और अदालत द्वारा तैयार किए गए डुप्लिकेट चालान के साथ -साथ बैंक को प्रस्तुत किए गए मामले में उत्पादन किया गया था और उन्होंने कम राशि दिखाई। चालान को निष्पादन क्लर्क द्वारा तैयार किया गया था और यह एक स्वीकार किया गया तथ्य भी था कि जंग सिंह एक अनपढ़ व्यक्ति थे। यह राशि अदालत के अधिकारियों पर तुरंत भरोसा करते हुए जमा की गई थी। निष्पादन क्लर्क ने उस प्रक्रिया को हटा दिया था जिसका आमतौर पर पालन किया गया था और उसने बताया था कि पहले जमा में राशि के बारे में अहल्मद द्वारा एक रिपोर्ट थी और फिर चालान तैयार होने से पहले आवेदन पर अदालत द्वारा एक आदेश दिया गया था। इसलिए, यह काफी स्पष्ट था कि अगर कोई त्रुटि थी तो अदालत और उसके अधिकारियों ने काफी हद तक इसमें योगदान दिया। इस अदालत ने देखा:

"यह कोई संदेह नहीं है कि एक मुकदमेबाज को सतर्क होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जहां एक मुकदमेबाज अदालत में जाता है और अदालत की सहायता के लिए पूछता है ताकि एक डिक्री के तहत उसके दायित्वों को सख्ती से पूरा किया जा सके, यह

अदालत में अवलंबी हो। , यदि यह मुकदमे को अपने स्वयं के उपकरणों के लिए नहीं छोड़ता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही जानकारी सुसज्जित है। यदि जानकारी की आपूर्ति में अदालत एक गलती करता है, तो मुकदमेबाज की जिम्मेदारी है, हालांकि यह पूरी तरह से बंद नहीं होता है, कम से कम साझा किया जाता है। अदालत। यदि मुकदमेबाज उस जानकारी के विश्वास पर काम करते हैं, तो अदालतें उसे एक गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती हैं, जो कि वह खुद हुई है। अदालत के मार्गदर्शन के लिए कोई उच्च सिद्धांत नहीं है। और यह देखने के लिए अदालतों का बाध्य कर्तव्य है कि यदि किसी व्यक्ति को अदालत की गलती से नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसे उस स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए जो उसने कब्जा कर लिया होगा लेकिन उस गलती के लिए। यह उपयुक्त रूप से मैक्सिम एक्टस क्यूरिया नेमिनेम ग्रेवबिट में अभिव्यक्त किया गया है।

12. उस मामले के तथ्यों में यह आयोजित किया गया था कि अदालत द्वारा एक त्रुटि की गई थी जिसे अदालत को पूर्ववत करना चाहिए और जिसे जंग सिंह पर दोष लगाकर पूर्ववत नहीं किया जा सकता था, जिसे अदालत और उसके अधिकारियों पर भरोसा करने की उम्मीद थी और उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए। यह भी देखा गया कि उन्होंने तुरंत राशि जमा की और अदालत की कार्रवाई से उनके दिमाग में एक गलत विश्वास को प्रेरित किया गया कि उन्हें भुगतान करना था जो चालान में कहा गया था। तदनुसार अपील की अनुमति दी गई थी, उच्च न्यायालय के आदेश को अलग रखा गया था और अपीलकर्ता को फिर से जमा करने का आदेश दिया गया था। **1** ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि खरीद के एक अंश के गैर-डिपोज़िट के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा शेष राशि जमा करने के लिए समय का धन विस्तार किया गया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अदालत के अधिकारियों द्वारा प्रेरित गलत विश्वास के कारण निश्चित तारीख तक राशि के एक मिनट के अंश को जमा करने में विफलता पर सूट को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैक्सिम "एक्टस क्यूरिया नेमिनम ग्रेवबिट" के कारण ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक ही परिणाम को समान न्यायसंगत आधार पर पालन नहीं करना चाहिए। "

संविधान की पीठ ने कहा कि पूर्व-अनुकरण का एक अधिकार कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों में संविधान के अनुच्छेद **14** का उल्लंघन किया गया था। हालांकि, इसने उन मामलों में पूर्व-उत्सर्जन के अधिकार को बचाया जहां फरमान अंतिम हो गए हैं और इस तरह के फरमान अंतर-पक्षों को बाध्य करते हैं। इसने अपवाद को नक्काशी करके आगे रखा कि संविधान के अनुच्छेद **14** के उल्लंघन के रूप में कुछ मामलों में पूर्व-उत्सर्जन के अधिकार की घोषणा करते हुए उन फरमानों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अंतर-पक्षों को बाध्य कर रहे थे। डिक्री धारक-प्रतिवादी के लिए

वकील सीखा, पैरा **14** में की गई टिप्पणियों पर मजबूत निर्भरता रखी गई, जो कि के रूप में पढ़ती है:

"हमें बताया गया है कि कुछ मामलों में विभिन्न अदालतों में सूट लंबित हैं और, जहां फरमान पारित किए गए हैं, अपील हैं

अपीलीय अदालतों में लंबित। इस तरह के सूट और अपील को अब हमारे द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार निपटाया जाएगा। हमें बताया गया है कि ऐसे कुछ मामले हैं जहां सूट को कम कर दिया गया है और फरमान अंतिम हो गए हैं। उन फरमानों के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है। फरमान अंतर पार्टियों को बाध्यकारी करेंगे और हमारे द्वारा पार्टियों के लिए कोई लाभ नहीं होगा। "

(१९) संविधान पीठ के ये अवलोकन डिक्री धारक-उत्तरदाताओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं क्योंकि इस मामले में डिक्री ने अंतिमता प्राप्त की थी।

(२०) कानून की स्थिति पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित बाध्यकारी मिसाल से बिल्कुल स्पष्ट है। जोहरी सिंह के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने भी पहले के फैसले पर भरोसा किया था, जो कि चोट सिंह के मामले (सुप्रा) को प्रस्तुत किया गया था और निष्कर्ष निकाला है कि निष्पादन अदालत/सिविल कोर्ट ने पूर्व-समारोह की जमा राशि में कमी करने के लिए समय का विस्तार किया हो सकता है। पूर्व-उत्सर्जन डिक्री के निष्पादन का चरण। जब अदालत में पूर्व-उत्सर्जन राशि जमा की गई है, तो समय को सिविल कोर्ट द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यह दावा नहीं किया जा सकता है कि सिविल कोर्ट फंक्शनस ऑफिसियो बन गया है या इस गलती के लिए पूर्व-उत्सर्जन डिक्री को आर **100** की छोटी राशि जमा करने के लिए पराजित किया जा सकता है। यह कोई निकाय का मामला नहीं है कि डिक्री धारक के पास क्षमता नहीं थी उस राशि का भुगतान करने के लिए या ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। एक बार गणना अदालत द्वारा या उसके अधिकारियों द्वारा अदालत के उदाहरण पर की गई है, तो डिक्री धारक/प्रतिवादी के साथ कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

(२१) किसी अन्य बिंदु पर तर्क नहीं दिया गया है।

(२२) ऊपर दिए गए कारणों के मद्देनजर, मैं इस विचार का विचार कर रहा हूं कि वर्तमान संशोधन में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए और संशोधन

याचिका बर्खास्तगी की योग्यता है। संशोधन याचिका तदनुसार लागत के रूप में कोई आदेश के साथ खारिज कर दी जाती है। रजिस्ट्री द्वारा रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्ड को वापस लौटा दिया गया।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा